खण्ड–8, अंक–1, वर्ष–2020 समीक्षा आलेख
D.O.I.: 10.22445/avsp.v8i1.14

जैवविविधता अधिनियम–2002 : सतत् विकास की तरफ बढ़ते कदमों की आलोचना एवं समीक्षा

दीपायन मालवीय

विधि विभाग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई–400 088, महाराष्ट्र, भारत

प्राप्ति तिथि–30.09.2020, स्वीकृति तिथि–25.11.2020

सार– जैवविविधता अधिनियम 2002, जैविक विविधता के संरक्षण इसके घटकों के सतत् उपयोग और जैविक संसाधनों व ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए है। यह लेखन भारत में जैवविविधता के हाल के नुकसान का संक्षिप्त विवरण एवं जैवविविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और प्रावधान के कार्यान्वयन व गैर–कार्यान्वयन के कारणों को सामने लाना चाहता है। यह लेख 2002 के अधिनियम के पारित होने से पहले और बाद में भारत में जैवविविधता की समृद्धि को उजागर करेगा ताकि विधान की प्रभावशीलता को मापा जा सके। इसके अतिरिक्त भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढ़ांचे का विश्लेषण तथा आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच पर नागोया प्रोटोकॉल और जैवविविधता के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति की समीक्षा की गई है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर भी प्रकाश डाला गया है।

बीज शब्द– जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम 2002, नागोया प्रोटोकॉल, कानूनी ढांचा

Biodiversity Act-2002 : Criticism and Review of Moving Steps Towards Continuous Development

Deepayan Malaviya

Department of Law, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai-400 088, Maharashtra, India

Abstract- The Biological Diversity Act, 2002 provides for conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of the benefits arising out of the use of biological resources, knowledge and for matters connected therewith or incidental thereto. The Paper would provide a brief overview of the recent loss of biodiversity in India and review the current status of implementation of the provisions of the Biodiversity Act, 2002 in India and seek to bring forth the reason for the non-implementation of the Provision of the Act. The Paper would highlight the richness of biodiversity in India before and after the passage of the Act of 2002 so as to measure the effectiveness of the Legislation. Further, the paper would also analyze the International Legal Framework i.e., The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable sharing of benefits arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity to highlight the international trend in the protection against Biodiversity Loss.

Key words- Biodiversity, Biodiversity Act, 2002, Nagoya Protocol, Legal framework

1. परिचय

हमारे ग्रह के आवश्यक संसाधन और सेवाएं जीन प्रजाति आबादी और पारिस्थितिक तंत्र की विविधता और परिवर्तनशीलता पर निर्भर करती हैं। जैविक संसाधन हमें, आवास, दवाएं और आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं। जंगलों, सवाना चरागाहों और रंगभूमि रेगिस्तानों, टुंड्रा नदियों, झीलों और समुद्रों के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पृथ्वी की अधिकांश जैवविविधता समाहित है। किसानों के खेत और बगीचे

Corresponding Author: deepayan.malaviya09@gmail.com

भी रिपॉजिटरी के रूप में बहुत महत्व रखते हैं जबकि जीन बैंक वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और अन्य जर्मप्लाज्म रिपोजिटरी एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैवविविधता में वर्तमान गिरावट प्रमुखतः मानवीय गतिविधि का परिणाम है और मानव विकास के लिए एक गंभीर खतरा है।[1] स्वदेशी लोगों और उनके समुदायों का उनकी भूमि के साथ एक ऐतिहासिक सम्बंध है और प्रायः ऐसी भूमि के मूल निवासियों के वंशज हैं। स्वदेशी लोग और उनके समुदाय भारतीय जनसंख्या के महत्वपूर्ण प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।[2] उन्होंने कई पीढ़ियों के बाद अपनी भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का समग्र पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान विकसित किया है। प्रकृति और सतत विकास के बीच एक गहरा सम्बन्ध है, इसी के साथ हमें सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलू को भी समझना चाहिए तथा हमें इनको लागू करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में इन स्वदेशी लोगों के योगदान को भी पहचानना चाहिए।[3]

2. जैवविविधता के ह्रास के आर्थिक और नीतिशास्त्र के कारण

एक राज्य की नीतियाँ सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था एवं संप्रभुता को मजबूत करने के लिए लायी जाती हैं। जैवविविधता के नुकसान के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकते हैं, परन्तु एक स्थिति निरंतर बनी हुई है, अर्थात्, पारंपरिक उपयोग पैटर्न औद्योगिक वानिकी, कृषि और ऊर्जा कार्यक्रमों को सरकार का समर्थन। इस बिंदु को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए, ब्राजील के अमेजन के जंगल में आग का उदाहरण उपयुक्त लगता है। एक सदी से अधिक समय से, ब्रेजलियन सरकारों ने वर्षावनों को औद्योगीकृत करने और विकसित करने का प्रयास किया है और औचित्य निरंतर समान रहे हैं और वह है आर्थिक लाभ। ब्राजील में वनों की कटाई आंशिक रूप से गोमांस और सोया (निर्यात के लिए) की बढ़ती मांग द्वारा संचालित है, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और अधिक पशुधन और सोयाबीन खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। यह अनिवार्य रूप से किसानों को उनके लिए चारागाह उपलब्ध कराने के लिए जंगलों को जलाने के परिणामस्वरूप हुआ। इसके अलावा, ब्राजील के संघीय पर्यावरण और नवीकरणीय संसाधन एजेंसी जिसे जंगल की आग की निगरानी करने के लिए बनाया गया था उसकी निधियों को कम कर दिया गया था, जिससे यह अपंग हो गया और जंगल की आग से होने वाली गति और क्षति और तेज हो गई।

अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका को पहले सूची और पेरिस एक्ट 2015 से अमेरिका को हटा लेना पर्यावरण को क्षति पहुँचायेगा क्योंकि यह अमेरिका के औद्योगीकरण को बढ़ाएगी जो कि पर्यायवरण को प्रदूषित करेगा और जैवविविधता एवं वास को और खतरे में डालेगा।

3. जैवविविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क

ग्रह पर मानवता के अस्तित्व के लिए पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण हैं, जिसका अर्थ है कि वन्य जीवन और अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों, संपत्तियों का बचाव और संरक्षण। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण सतत् विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता का गठन करते हैं–

3.1 जैवविविधता (सी.बी.डी.) पर विचार

1988 में यू.एन.ई.पी.[4] ने जैविक विविधता पर विशेषज्ञों की एक एडहॉक वर्किंग ग्रुप का गठन किया। बाद में, 1989 में, इसने जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण तैयार करने के लिए तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों के तदर्थ कार्य समूह की स्थापना की। विशेषज्ञों को ''विकसित और विकासशील देशों के बीच लागत और लाभों को साझा करने की आवश्यकता'' के साथ–साथ स्थानीय लोगों के लिए नवाचार का समर्थन करने के तरीकों और साधनों को प्रतिबिंबित करना था।[5] "फरवरी 1991 तक, ऐडहॉक वर्किंग ग्रुप को इंटरगवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी के रूप में जाना जाने लगा। इसका कार्य 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन के साथ जैविक विविधता पर कन्वेंशन के सहमत पाठ को अपनाने के लिए हुआ। इस प्रकार सी.बी.डी. को जैविक विविधता के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक वैश्विक समझौते के रूप में कल्पना की गई थी।[6] सम्मेलन का उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के ''निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे'' की पृष्ठभूमि में स्थापित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।[7]

3.2 उद्देश्य

इस कन्वेंशन के उद्देश्य, इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण सम्मिलित हैं, जिनमें उपयुक्त आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और संबंधित प्रौद्योगिकियों के उचित हस्तांतरण द्वारा, उन संसाधनों और प्रौद्योगिकियों पर सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।[8] सीबीडी के दो पूरक समझौते हैं– कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए

जीविका पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से एक देश से दूसरे देश में रहने वाले संशोधित जीवों (एल.एम.ओ.) के आंदोलनों को नियंत्रित करता है। यह 29 जनवरी 2000 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ।[9] कन्वेंशन के बायोसेफ्टी पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिसे बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, को जनवरी 2000 में अपनाया गया था। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल जैविक विविधता की रक्षा के लिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों से बचाता है। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल स्पष्ट करता है कि नई तकनीकों के उत्पादों को एहतियाती सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और विकासशील देशों को आर्थिक लाभ के विरुद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य को संतुलित करने की अनुमति देनी चाहिए।

आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और नागोया प्रोटोकॉल, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो उनके यूटिलाइजेशन से कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर उठता है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर कन्वेंशन का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। यह सी.बी.डी. के तीन उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता हैः आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण। नागोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को नागोया, जापान में अपनाया गया था और अनुसमर्थन के पचासवें साधन के जमा होने के 90 दिन बाद 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य इससे होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। जिससे आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग, जैवविविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग में योगदान हो।[10]

4. जैवविविधता और सीबीडी का "संयोजन"

संरक्षण केंद्रीय विषय है जिसके चारों ओर सी.बी.डी. की स्थापना की जाती है । जैवविविधता बिओप्रोस्पेक्टिंग, अतिखापत या संरक्षण कार्यों के न होने के कारण समाप्त हो जाती है। और यह बात अनुछेद 3 को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाती है।[11] अनुच्छेद 3 ''सतत् विकास'' के विचार की ओर भी संकेत करता है और संप्रभु को जैविक विविधता सामग्री का ज़ायजा लेने और सर्वोत्तम प्रणाली का निर्धारण करने की अनुमति देता है ताकि संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और अनुच्छेद 15 उसी को पुष्ट करता है। यहाँ एक बिंदु यह उठता है कि साधन का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों को संरक्षित करना है, यह उन आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने के संप्रभुता के विवेक तक सीमित है जिसे कानून द्वारा मान्यता दी गई है और इसलिए इसे संतुलित किया गया है। ''सतत् विकास'' शब्द का उपयोग, इस प्रकार, राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है और आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच से इनकार कर सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ''सतत् विकास'' के नाम पर जैवविविधता और स्थानीय समुदायों के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाता है।

5. संप्रभुता और जैवविविधता सामग्री तक पहुँच

जैसा कि पहले कहा गया है कि सी.बी.डी. का प्राथमिक उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों को संरक्षित करना है और इन संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना संप्रभु के विवेक पर निर्भर करता है क्योंकि यह सीधे पहुँच से इनकार नहीं कर सकता है लेकिन जैवविविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदाय के प्रयोग के लिए सावधानीपूर्वक प्रतिबंध लगाता है। स्वदेशी लोगों की सहमति, स्वदेशी लोगों के साथ शर्तों का खुलासा, पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र की सीमा, क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध, और अन्य दायित्वों को शामिल करने के लिए एक अनिवार्य दायित्व शामिल हो सकते हैं। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँचने के लिए इस तरह की एक महत्वपूर्ण औपचारिकता धारक की ''पूर्व सूचित सहमति'' प्राप्त करना है। यह स्पष्ट रूप से और कथित रूप से कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 (5)[12] और अनुच्छेद 8 (जे)[13] में उल्लिखित है। लेकिन, कन्वेंशन में पूर्व सूचित सहमति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इससे पाठक के मन में एक तर्क उभर सकता है कि सूचना शब्द–क्षेत्र, सीमा और प्रकृति को परिभाषित करने के लिए राज्य पर छोड़ दिया गया है, लेकिन यह दुरुपयोग की गुंजाइश भी छोड़ देता है। उदाहरण के लिए, धारकों द्वारा दी जाने वाली सहमति के लिए, धारकों को अपने द्वारा रखे गए ज्ञान के संभावित भविष्य के उपयोग के बारे में पता होना चाहिए जो वे साझा कर रहे हैं, जो फिर से स्वदेशी लोगों की जागरूकता पर निर्भर करता है और इसी बात का दुरूपयोग कर के जानकारी छिपाई जा सकती है।

दुरुपयोग की संभावना बड़े पैमाने पर है क्योंकि वहाँ संप्रभु और स्वदेशी दलों की सौदेबाजी शक्ति पर असमानता मौजूद है और जैसा कि कन्वेंशन ''सूचित'' सहमति को अनिवार्य करता है, यह समय सीमा के भीतर सहमति को प्रभावित करने वाले कारकों के घटकों पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत जानकारी साझा की जानी चाहिए। ये सभी चीजें ज्ञान के स्वदेशी धारकों पर अनुचित दबाव डालती हैं, जब वे निर्धारित करने के लिए राज्य के लिए छोड़ दिए जाते हैं। हालाँकि, बॉन गाइडलाइन्स में अनुच्छेद 16 (डी) (प) –(1 से 6) के प्रावधानों के तहत इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है, जहाँ यह कहा गया है कि ''अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनुवंशिक

संसाधनों के उपयोगकर्ताओं के साथ अनुबंध करने वाली पार्टियों को वैध कानूनी प्रशासनिक, या नीतिगत कार्यवाही करनी चाहिए जिससे की पूर्व सूचित सहमति के अनुपालन का समर्थन करने के लिए ऐसे संसाधन और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें प्रदान करते हैं जिन पर पहुँच प्रदान की गई थी।[14] ''आगे, नागोया प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 6 इस चिंता को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रावधान बन जाता है क्योंकि यह आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करने में सदस्य राज्यों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है और कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही सदस्य राज्यों और उनके घरेलू कानूनों में भी स्पष्टता और पारदर्शिता लाता है।[15] इसके अतिरिक्त, प्रोटोकॉल से पता चलता है कि सदस्य राष्ट्रों को निम्नलिखित नियमों की भी स्थापना करनी होगी–

1. सुव्यवस्थित पहुँच के लिए योजना,
2. पूर्व सूचित सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करना,
3. ऐसे नियम बनाएं जो विवाद की स्थिति में निर्णय लेने की अनुमति दे सकते हैं,
4. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संबंध में, तीसरे पक्ष द्वारा साझा करने और उपयोग करने से संबंधित शर्तों की स्थापना करें।

इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 7 के तहत नागोया प्रोटोकॉल[16] सदस्य राज्यों को नियमों को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो एक सुव्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रदान करते हैं जो राष्ट्रीय प्राधिकरण के माध्यम से और उचित समय की अवधि में एक निष्पक्ष, गैर–मनमाना तंत्र स्थापित करता है। इस तरह की प्रक्रिया से न केवल सहमति के स्पष्ट प्रमाण का सुझाव मिलता है, बल्कि सूचना का उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय समाशोधन गृह की भी स्थापना की जाती है। इस प्रकार, एक विवाद निपटान खण्ड, लाभ के बंटवारे और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक अलग खण्ड, भविष्य के असाइनमेंट या अधिकारों के विभाजन सहित सभी सहमति दस्तावेज का हिस्सा होना आवश्यक है।[17]

6. भारतीय कानूनी जीवविज्ञान की स्थिति का सामना करने के लिए कानूनी दृष्टिकोण

भारतीय संविधान में जैवविविधता के संरक्षण की अवधारणा को अनुच्छेद 48 (ए और 51 ए (जी) में मुख्य रूप से परिभाषित किया गया है। जैवविविधता से सम्बंधित प्रमुख केंद्रीय अधिनियम हैः भारतीय वन अधिनियम, 1927 "वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972" वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986। विभिन्न केंद्रीय अधिनियमों को वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से सम्बंधित कई राज्य कानूनों और विधियों द्वारा समर्थित किया जाता है क्योंकि भारत एक दस्तावेज युक्त मेगा–विविधता वाला देश है, जिसमें पौधों की 45000 से अधिक प्रजातियों और जन्तुओं की 91000 प्रजातियों के साथ दुनिया की रिकॉर्ड की गई प्रजातियों में से 7 से 8 प्रतिशत यहाँ पाए जाते हैं तथा 34 वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में हैं।[18] भारत की फसलों की विविधता के लिए एक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा भारत में विश्व की अनुसूचित जनजाति की आबादी की एक बड़ी संख्या है जो स्वदेशी ज्ञान की सुरक्षा को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी जैविक विविधता और सम्बंधित जैविक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।

7. जैवविविधता अधिनियम 2002

इस कानून का उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण की दिशा में नेतृत्व करना है, जैविक विविधता के घटकों का स्थायी उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है। इसके अलावा, अधिनिर्णय के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शक्तियाँ राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए, एन.बी.ए. की जिम्मेदारियों के क्षेत्र में ज्ञान धारकों के साथ संयुक्त स्वामित्व सुनिश्चित करना सम्मिलित है ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्थानीय लोगों के साथ अनुसंधान और विकास गतिविधियों की देख–रेख की जा सके। इन बातों के अलावा, एन.बी.ए. ''कृषि–जैवविविधता'' के मुद्दों से भी निपटेगा जो कृषि से संबंधित प्रजातियों और उनके जंगली वंशजों की जैविक विविधता से संबंधित है। इसके साथ ही एन.बी.ए. की अनुमोदन प्रक्रिया को स्थापित करके जैविक संसाधनों तक पहुँच को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए एकाग्रता सुनिश्चित की जाती है कि कोई भी जैविक संसाधन विशेष रूप से गैर–भारतीयों (या अनिवासी भारतीयों) या विदेशी निगमों द्वारा भारत से बाहर स्थानांतरित न हों।[19] बौद्धिक संपदा के इस दृष्टिकोण को अपनाने से स्वदेशी जनसंख्या को शोषण से बचाया जाता है।

8. अधिनियम में कमियाँ

कानून को मोटे तौर पर पढ़ने पर, हमें यह पता चलता है कि अधिनियम में प्रमुख दोष यह है कि यह संरक्षण को पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं देता है, इसके बजाय यह जैव संसाधन के व्यावसायिक शोषण से लाभ–बंटवारे पर अधिक जोर देता है। इसके अलावा, स्थानीय

समुदायों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि संसाधनों का नियमन एन.बी.ए. और एस.बी.बी. द्वारा किया जाता है, इस कारण से कि स्थानीय समुदाय अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से जागृत नहीं हैं। कानून लेख पर अच्छा है, परन्तु वास्तविकता में संप्रभुता के पक्ष में झुका हुआ है। इसके अलावा, स्वदेशी समुदाय के सदस्यों के लिए लोकस स्टैंडी (Locus Standi) की अनुपस्थिति गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी समुदाय का सदस्य सीधे अदालत में नहीं पहुँच सकता है।

9. पौधों की विविधता और कृषि अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2001

जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अतिरिक्त, यह कानून लाभ के बंटवारे पर भी चर्चा करता है और इस तरह के लाभ के बंटवारे की प्रक्रिया को स्थापित करता है। साथ ही एक प्रभाविक प्रणाली की स्थापना भी करता है जिसमें कि किसान के हक, पौधों की प्रजातियों एवं पौधों के प्रजनन को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाने के प्राविधान है।[20] पौधों के प्रकार और किसानों के अधिकार अधिनियम किसानों और ब्रीडर को अलग–अलग परिभाषित करता है जो कानून की एक गंभीर कमी है। दोनों के बीच अंतर करना बहुत कठिन है क्योंकि भारत का किसान परम प्रजनक है। इसके पीछे मुख्य कारण कृषि का गैर–व्यवसायीकरण है। भारतीय कृषि बहुत अच्छी जगह पर नहीं है और कोई अलग प्रजनक प्रमुख रूप से मौजूद नहीं है। यह गंभीर कमी है जो अधिनियम के व्यावहारिक प्रभाव में एक बाधा के रूप में कार्य करता है।

10. जैवविविधता का संरक्षण कौन करता है?

लेखन की शुरुआत में, ब्राजील और अमेरिका का चित्रण दिया गया था और यह देखा गया था कि दो अंतर–मर्मज्ञ और शक्तिशाली समूहों (पहले संप्रभुता और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ) होने के बीच गठबंधन उनके व्यापारिक हितों के आधार पर किया गया है जो कि जैवविविधता की हानि के लिए जिम्मेदार है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में, इन दो शक्तिशाली संगठनों ने वनों, भूमि और कृषि पर नियंत्रण कायम किया है। बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, आज के समय में संप्रभुता शक्ति इकट्ठा करने से प्रभावित है, संचित फलस्वरूप संप्रभुता जैवविविधता की शक्ति का उपयोग कर रहा है। इसके चलते संप्रभुता अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों (कच्चे माल) को भोजन, दवा, फाइबर और ऊर्जा के औद्योगिक उत्पादन के लिए बदल रहा है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति का उपयोग राज्य एकरूपता के प्रजनन के लिए कर रहे है और इसके कारण राष्ट्र पूंजीवाद की सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है की कॉर्पोरेट रणनीतियाँ हमें वस्तुओं के विविधीकरण की ओर ले जा रही हैं न कि स्वाभाविक रूप से होने वाले विविध लक्षणों की तरफ, जोकि प्राकृतिक विविधता का विनाश का एक संकेत है।

यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण भारत में हरित क्रांति होगा जहाँ उच्च उपज, उत्पादकता और फसल के आर्थिक मूल्य में वृद्धि के आधार पर उच्च उपज वाली प्रजातियों को प्रस्तुत किया गया था। इसके प्रभाव यह थे कि तिलहन और दलहन को भारतीय कृषि से बाहर हो गया, जिसके उपोत्पाद मिट्टी के पोषण और उर्वरता के लिए आवश्यक थे। गेहूं और चावल की बौनी किस्मों के मोनोकल्चर ने भी भूसे को गायब कर दिया, जो मवेशियों के लिए चारा था और मिट्टी के लिए उर्वरक था। इस प्रकार, ''पैदावार खाद्य अनाज व्यापार के दृष्टिकोण से अधिक थी, लेकिन खेत और किसान के स्तर पर –प्रत्यक्षों की प्रजातियों की विविधता के संदर्भ में नहीं थी।[21]

11. संरक्षण रणनीतियाँ: थाइलैंड से सीखने वाली बातें

80 के दशक के प्रारम्भ में थाइलैंड में जंगल गायब हो गए और कृषि में बनी जैवविविधता में भी तेजी से गिरावट आई और आधुनिक पशुधन ने देशी नस्लों की जगह ले ली। भारत में जो हरित क्रांति हुई, वह थाईलैंड में भी हुई और अपने साथ लाई गई– बीज फर्टिलाइजर्स और पेस्टीसाइड्स की ''हाई–यील्ड किस्में'' और मिट्टी की जीवन और संरचना गिरावट। यह अभ्यास राज्य के लाभ अधिकतमकरण और बढ़ती निर्यात आय से प्रभावित था। इसे समर्थन देने के लिए रेलवे और बुनियादी ढाँचे में धन का निवेश किया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ करने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसानों को फसलों की बढ़ती माँग के साथ खेती करने के लिए कम जमीन मिली। स्वाभाविक रूप से, किसानों ने माँग को पूरा करने के लिए कृत्रिम साधनों का सहारा लिया जिसका प्रभाव मिट्टी और फसल की गुणवत्ता पर पड़ा। लेकिन कृत्रिम उर्वरक और अधिक उपज देने वाले बीज सस्ते नहीं थे, इसलिए किसानों को उधार के पैसे का सहारा लेना पड़ता था, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः किसान अतिरिक्त ब्याज देते थे और कभी–कभी कर्ज के दबाव में आ कर जमीन खो देते थे। ऐसे किसानों में से एक, चाचोएन्गासाओ प्रांत में बान हुइहिन के विबून खेमचर्म ने आदानों की बढ़ती लागत और फसलों की गिरती कीमतों से सामना किया और हर साल खुद को बनाए रखने के लिए अपनी जमीन बेचने लगा। अंत में, विबून ने अपनी अधिकांश भूमि को कर्ज का भुगतान करने और नए सिरे से बेचने का फैसला किया। उन्होंने खुद को डेढ़ एकड़ में रखा

और विभिन्न प्रकार की फसलें, पेड़ और औषधीय जड़ी–बूटियों को बोया और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से दूर किया और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था से खुद को दूर किया। कई वर्षों के बाद वह हर्बल दवाओं के विषेशज्ञ बन गए और उनके डेढ़ हेक्टेयर भूखण्ड में 500 से अधिक प्रजातियों के पेड़ और अन्य पौधे थे और पशु जीवन भी एक प्रतिक्षेप पर था।[22] समय बीतने के साथ, देश के उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण में सैकड़ों गाँवों ने सामुदायिक वन विकसित किए, जो वर्षों से बने हुए हैं। बिंदु यह है कि जैवविविधता के संरक्षण का अधिकार स्थानीय समुदाय के साथ है। और इसलिए प्रत्येक समुदाय को जैवविविधता के संरक्षण के लिए शक्तिशाली समुदायों पर स्थानीय जलवायु, जल व्यवस्था, प्रजातियों और सामाजिक स्थितियों पर आधारित सामुदायिक नियंत्रण के लिए अपना विशिष्ट मॉडल विकसित करना चाहिए। प्रथाओं से पता चलता है कि थाईलैंड में ग्रामीण समूह और सरकार की योजनाओं के विरोध में आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जैविक विविधता के निगम सबसे शक्तिशाली और प्रतिबद्ध रक्षक हैं।[23]

12. निष्कर्ष

न्याय कभी तात्कालिक नहीं हो सकता। इसी तरह, पिछली सदी में जैवविविधता को जो नुकसान हुआ है, वह एक या दो साल में सही नहीं हो सकता। यह केवल कई और अतिव्यापी विधान बनाकर पूर्ववत् नहीं किया जा सकता है जैसा कि भारत के मामले में है। एक सकारात्मक सुधार आने में कुछ समय लगेगा और जब तक सुधार नहीं आता तब तक जैवविविधता को बचाये रखने की जिम्मेदारी स्वदेशी लोगों की ही है। और वह लोग ये जिम्मेदारी शासन के प्रभाव से बच कर निभा सकते हैं। एकता में शक्ति है और स्वदेशी लोगो के पास एकता की शक्ति है और इसका उपयोग कर के स्वदेशी लोग सरकार के पूंजीवादी और वाणिज्यिक कदमों को थाम सकते हैं। जैवविविधता के संरक्षण के लिए कई विधानों का अर्थ स्वस्थ जैवविविधता नहीं है। भारत का संवर्धन जिन आदर्शों को शब्दों में दर्शाता है वह आदर्श केवल किताबी नहीं बल्कि व्यवहारिक एवं वास्तविकता से निभाई भी जाना चाहिये। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पौधों की विविधता और किसान अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 भी अतिव्यापी मुद्दों से निपट रहा है इसलिए आवश्यकता एक व्यापक कानून की है जोकि इन सब मुद्दों से एक साथ निपटे और सदा के लिए निपटने में सक्षम रहे। तब तक जिम्मेदारी स्वदेशी समुदाय पर है।

संदर्भ

1. पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, यू.एन. डॉक्टर। ए / CONF.151 / 5 / रेव। 1 (1992), 31 I-L-M में पुनर्मुद्रित। 87 (1992) अध्याय 15.1, एजेंडा 21
2. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत, नेपाल और श्रीलंका के एक अल्पसंख्यक समूह में वेदान्दा नाम की एक अल्पसंख्यक आबादी शामिल है, जो भारत की जनसंख्या का 8.6% या 104 मिलियन लोग हैं।
   http://www-censusindia-govn/2011census/hlo/pca/pca_pdf/PCA&CRC&0000-pdf
3. पर्यावरण और विकास, रियो घोषणा पत्र पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यू.एन. डॉक्टर। ए / CONF.151 / 5 / रेव। 1 (1992), 31 I-L-M में पुनर्मुद्रित। 87 (1992) अध्याय 26.1, एजेंडा 21।
4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
5. https://www-cbd-int/history/
6. पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखनारू जैविक विविधता पर कन्वेंशन प्रकृति और मानव कल्याण को कैसे बढ़ावा देता है
   http://www-biodiv-org/doc/publications/guide-asp\id¾action- ij miyC/k
7. रगवन श्रीविद्या, (2012) भारत की विविधता और बौद्धिक संपदा मुद्दों को समेटने का प्रयास, आई.जे.आई.पी.एल.खण्ड–5, पृ0 1।
8. जीव विविधता पर अनुच्छेद 1 सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र 1992।
9. http://bch-cbd-int/protocol/
10. http://bch-cbd-int/protocol/
11. सीबीडी का अनुच्छेद 3: "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार, संप्रभु अपने स्वयं के पर्यावरण नीतियों के अनुसार अपने स्वयं के संसाधनों का शोषण करने का अधिकार है, और जिम्मेदारी अपने क्षेत्राधिकार में है कि गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए या नियंत्रण राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से परे अन्य राज्यों या क्षेत्रों के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है।
12. अनुच्छेद 15 (5): जब तक कि अन्यथा उस पार्टी द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, इस तरह के संसाधन उपलब्ध कराने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की पूर्व सूचित सहमति के अधीन होगा।

13. अनुच्छेद 8 (जे): अपने राष्ट्रीय कानून के अधीन, जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए प्रासंगिक पारंपरिक जीवन शैली को अपनाने वाले स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं को संरक्षित, बनाए रखना, बनाए रखना और अनुमोदन के साथ उनके व्यापक आवेदन को बढ़ावा देना। इस तरह के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के धारकों की भागीदारी और इस तरह के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान हिस्से को प्रोत्साहित करना
14. उपलब्ध //www-cbd-int/doc/publications/cbd&bonn&gdls&en-pdf
15. नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6: "1. प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों के प्रयोग में, और घरेलू उपयोग और लाभ–साझाकरण कानून या विनियामक आवश्यकताओं के अधीन, उनके उपयोग के लिए आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पार्टी की पूर्व सूचित सहमति के अधीन होगी, ऐसे संसाधन प्रदान करना जो देश का है ऐसे संसाधनों या एक पार्टी की उत्पत्ति, जिसने कन्वेंशन के अनुसार आनुवंशिक संसाधनों का अधिग्रहण किया है, जब तक कि अन्यथा उस पार्टी द्वारा निर्धारित न किया गया हो। 2. घरेलू कानून के अनुसार, प्रत्येक पार्टी यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपाय करेगी कि पूर्व सूचित सहमति या अनुमोदन और स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की भागीदारी आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच के लिए प्राप्त की जाए, जहाँ उनका अधिकार स्थापित है ऐसे संसाधनों तक पहुँच प्रदान करें। 3. उपरोक्त अनुच्छेद 1 के अनुसार, पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता वाले प्रत्येक पक्ष को आवश्यक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करने होंगे, जैसेः (क) उनके घरेलू उपयोग और लाभ–साझाकरण कानून की कानूनी निश्चितता, स्पष्टता और पारदर्शिता प्रदान करना या नियामक आवश्यकताओं (ख) आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँचने पर उचित और गैर–मनमाना नियम और प्रक्रिया प्रदान करनाय (ग) पूर्व में सूचित सहमति के लिए आवेदन कैसे करें के बारे में जानकारी प्रदान करें (ग) एक सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा, लागत प्रभावी तरीके से और समय की उचित अवधि के भीतर एक स्पष्ट और पारदर्शी लिखित निर्णय प्रदान करना (घ) परमिट के उपयोग के समय जारी करने के लिए या उसके समकक्ष के रूप में पूर्व सूचित सहमति प्रदान करने के लिए और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की स्थापना के निर्णय के सबूत के लिए प्रदान करें, और तदनुसार पहुँच और लाभ–बंटवारे समाशोधन–हाउस को सूचित करें (च) जहाँ लागू हो, और घरेलू कानून के अधीन हों, पहले से बताई गई सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मापदंड और / या प्रक्रिया निर्धारित करें और आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच के लिए स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की भागीदारीय और (छ) पारस्परिक रूप से सहमत शब्दों की आवश्यकता और स्थापना के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं स्थापित करना। इस तरह की शर्तें लिखित में निर्धारित की जाएंगी और इसमें शामिल हो सकती हैं, अन्य बातों के साथः (i) विवाद निपटान खंड; (ii) बौद्धिक संपदा अधिकारों के सम्बंध में लाभ–बंटवारे पर शर्तें (iii) बाद के तीसरे पक्ष के उपयोग पर शर्तें, यदि कोई होय और (iv) आशय के परिवर्तन पर शर्तें, जहाँ लागू हों।
16. नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 7: घरेलू कानून के अनुसार, प्रत्येक पार्टी उचित, देशी और स्थानीय समुदायों द्वारा आयोजित आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित और उचित सहमति के साथ उपाय करेगी। या इन स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की स्वीकृति और भागीदारी, और जो पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों को स्थापित किया गया है।
17. रगवन श्रीविद्या (2012) भारत की विविधता और बौद्धिक संपदा मुद्दों को समेटने का प्रयास, आई.जे.आई.पी.एल., खण्ड–5, पृ0 1।
18. https://www-iucn-org/asia/countries/india
19. रगवन श्रीविद्या, (2012) भारत की विविधता और बौद्धिक संपदा मुद्दों को समेटने का प्रयास, आई.जे.आई.पी.एल., खण्ड–5, पृ0 1।
20. प्लांट किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम, 2001 की प्रस्तावना।
21. शिवा वंदना, "जैवविविधता, जैव प्रौद्योगिकी और लाभ" जैवविविधता" सामाजिक और पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य।
22. शिवा वंदना, "जैवविविधता, जैव प्रौद्योगिकी और लाभ" जैवविविधताः सामाजिक और पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य।
23. https://www-cbd-int/doc/world/th/th&nr&05&en-pdf